न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्र0 क0 259 / 11/2005 विरूद्व आदेश दिनांक 24 जनवरी,2005 पारित - व्दारा - अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर - प्रकरण कमांक 37 / 2000 -01 अपील

छिगादर पुत्र किसना ,
निवासी बन्ने बुजुर्ग ,
तहसील पलेरा जिला टीकमगढ — आवेदक

विरूध्द

1 नथुआ पुत्र किसना
2 - बृजलाल पुत्र किसना
3 - रमोला पुत्र हलके
4- दसवा पुत्र हलके काछी
5 - विलउ पुत्र मोहन काछी
सभी निवासी निवासी बन्ने बुजुर्ग ,
तहसील पलेरा जिला टीकमगढ — अनावेदकगण

आवेदक के अभिभाषक श्री जगदीश श्रीवास्तव
अनावेदकगण के अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित

आदेश

(आज दिनांक 12 6- 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 37 / 2000 -01 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24.1.2005 के विरूद्ध म0प्र0भू. राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नथुआ पुत्र किसना ने तहसीलदार पलेरा के समक्ष म0प्र0भू. राजस्व संहिता की धारा 178 का आवेदन देकर कहा की कि ग्राम बन्ने बुजुर्ग स्थित भूमि सर्वे कमांक 5 / 10, 434, 435, 436, 438, 439,

444, 6/599, 4/9 कुल किता 9 रकबा 4.720 हैक्टर में उसका 1/3 एंव वृजलाल पुत्र किसाना , रमोला पुत्र हलके का हिस्सा 1/3, 1/3 है। सर्वे नंबर 4/3 रकबा 3.237 हैक्टर में उसका, वृजलाल पुत्र किसाना , रमोला पुत्र हलके का हिस्सा 1/2 है एंव रमोला पुत्र हलके, दसवा पुत्र हलके काछी का हिस्सा 1/2 है तथा सर्वे नंबर 440, 442, 443 के रकबा 0.300 हैक्टर (आगे सभी भूमियों को वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) में उसका एंव, वृजलाल पुत्र किसाना , रमोला पुत्र हलके का हिस्सा 1/3 है तथा विलउत्र पुत्र मोहन काछी का हिस्सा 2/3 है , तदनुसार बटवारा किया जावे। तहसीलदार पलेरा ने प्रकरण कमांक 28/अ–27/98–99 पंजीबद्व किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 8–5–2000 पारित किया तथा आवेदक एंव अनावेदकगण के बीच वादग्रस्त भूमि का बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी जतारा के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 120/99–2000 अपील में पारित आदेश दिनाक 4–9–2000 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष द्वित्तीय अपील कमांक 37/2000–01 होने पर आदेश दिनांक 24–1–2005 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है - जैसाकि आवेदक के अभिभाषक ने तर्कों में दो बिन्दु बताते हुये विचार किये जाने का अनुरोध किया है (1) यह कि आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना बटवारा आदेश दिया गया है (2) आवेदक व्दारा क्रय की गई भूमि को भी बटवारे में सम्मिलित किया गया है तथा फर्दों का विधिवत् प्रकाशन नहीं किया गया है।

(1) आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना बटवारा आदेश दिया गया है – इस सम्बन्ध में तहसील न्यायालय के प्रकरण अवलोकन पर पाया गया।

कि बटवारे के मूल दावे में आवेदक को अनावेदक कमांक 2 बनाया गया है तहसीलदार ने बटवारा कार्यवाही के पूर्व प्रारूप ''ख'' पर इस्तहार का प्रकाशन कराया है तथा प्रत्येक पक्षकार को इस्तहार की प्रति व्यक्तिगत रूप से भेजी जाकर निर्वाहित कराई, जिसमें एक प्रति आवेदक को भी प्राप्त हुई है इस्तहार की प्रति पर आवेदक के पावती के हस्ताक्षर हैं जो तहसील न्यायालय में प्रकरण में पृष्ठ 39 पर संलग्न है। आवेदक की ओर से तहसील न्यायालय में श्री एम.एल.राजपूत अभिभाषक पैरबी हेतु नियुक्त हुये हैं और उन्होंने आवेदक की ओर से पक्ष समर्थन किया है, इसके बाद आवेदक का वरिष्ठ न्यायालय में यह कहना कि उसे तहसील में सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, मानने योग्य नहीं है।

(2) आवेदक व्दारा कय की गई भूमि को भी बटवारे में सम्मिलित किया गया है तथा फर्दों का विधिवत् प्रकाशन नहीं किया गया है । अनावेदकगण के अभिभाषक के अनुसार जिस भूमि को आवेदक स्वयं व्दारा कय की गई भूमि बताता है, संयुक्त परिवार व्दारा धारित है और यदि वह कय की गई भूमि संयुक्त के परिवार के बजाय स्वयं के स्वत्व की होना बताता है तो स्वत्व का वाद विषय सक्षम न्यायालय से निर्णीत कराने हेतु स्वतंत्र है। तहसील न्यायालय के प्रकरण में पृष्ठ 55 पर पटवारी हलका बन्ने बुजुर्ग व्दारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 16 3 2000 की मूल प्रति संलग्न है जिसका अंश उद्धरण इस प्रकार है

'' फर्द स्वीकृति वावत् प्रतिवेदन – भूमि का बटवारा पंचों के साथ मौके पर जाकर किया गया तथा मौके पर बटवारा फर्द तैयार की गई जो प्रथक से प्रतिवेदन में संलग्न की गई है। ''

पटवारी से फर्द तैयार होने एंव प्रकाशन उपरांत तहसीलदार पलेरा ने अंतिम इस्तहार दिनांक 24-4-2000 जारी किया है एंव सर्वसाधारण को सूचित किया है कि उक्त फर्द बटवारा पर जिस किसी को कोई आपत्ति हो वह दिनांक 5 2000 तक आपत्ति पेश कर सकता है। फर्द बनाने एंव प्रकाशन के संबंध में ग्रामीणो का पचनामा तहसील के प्रकरण में पृष्ठ 67 पर संलग्न है जिस पर

ग्रामवासियों के हस्ताक्षर के साथ सरपंच ग्राम पंचायत बन्ने बुजुर्ग के. उप सरपंच के मय पदमुद्रा के हस्ताक्षर हैं। अतः यह नहीं माना जा सकता कि फर्दों का प्रकाशन समुचित ढंग से नहीं हुआ है।

5/ तहसीलदार के प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार पलेरा व्दारा संहिता की धारा 178 में दिये गये बटवारा नियमों का पालन कर बटवारा आदेश पारित किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी जतारा ने आदेश दिनांक 4-9-2000 में एंव अपर आयुक्त, सागर व्दारा पारित आदेश दिनांक 24-1-05 में तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। वैसे भी तहसीलदार पलेरा व्दारा पारित आदेश दिनांक 8-5-2000, अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 4-9-2000 एंव अपर आयुक्त, सागर व्दारा पारित आदेश दिनांक 24-1-05 में निकाले गये निष्कर्ष समरूप हैं जिसके कारण निगरानी में आवेदक को किसी प्रकार का अनुतोष दिये जाने के आधार नहीं पाये जाने से निगरानी निरस्ती योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 27/2000-01 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24.1.2005 विधिवत् होने से स्थिर रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर